

## कार्यालय जनपद न्यायाधीश, झांसी।

विज्ञाप्ति- माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के शासकीय आवास परिसर में स्थित जर्जर निर्माणों के मलबे की नीलामी करवाए जाने के सम्बन्ध में नीलामी

माननीय जनपद न्यायाधीश झांसी महोदय के आदेश दिनांकित 14.08.2024 के अनुपालन में नीलामी समिति, जनपद न्यायालय, झांसी द्वारा माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के शासकीय आवास परिसर में स्थित निष्प्रयोज्य 30X20 फीट के एक कक्ष एवं 10X10 फीट के एक शौचालयनुभा निर्माण के मलबे की नीलामी, लोक निर्माण विभाग, झांसी द्वारा निर्धारित न्यूनतम दरों के अनुसार करवाकर उसको निस्तारित करवाया जाना है। उक्त नीलामी मुनः दिनांक 23.08.2024 को समय साथं 4.30 बजे समिति के सदस्यों के समक्ष अध्यक्ष, नीलामी समिति विशेष न्यायाधीश (द०प०क्ष०), झांसी के विशेष कक्ष में सम्पन्न होगी।

इष्टुक व्यक्ति किसी भी कार्य दिपस में केन्द्रीय नाजिर, जनपद न्यायालय, झांसी से संपर्क कर माननीय जनपद न्यायाधीश भरोदय के शासकीय आवास परिसर में स्थित निष्प्रयोज्य 30X20 फीट के एक कक्ष एवं 10X10 फीट के एक शौचालयनुभा निर्माण के मलबे का निरीक्षण कर उसकी नीलामी घिये जाने हेतु बोली लगाने के पूर्व धरोहर राशि के रूप में ₹० 5,000/- (₹० पांच हजार भाव) की धनराशि रोकड़िया, जनपद न्यायालय, झांसी के पास जमा करानी होगी। अधिकतम बोली लगाने वाले व्यक्ति की धरोहर राशि को छोड़कर शेष बोलीकर्ताओं की धरोहर राशि नीलामी समाप्त होने के उपरान्त तुरंत वापस कर दी जायेगी। नीलामी समाप्त होने पर अधिकतम बोली लगाने वाले व्यक्ति को धरोहर राशि को छोड़ते हुए नीलामी राशि की अवशेष धनराशि अगले कार्यदिवस तक नजारत अनुशासन, जनपद न्यायालय, झांसी में निश्चयात्मक रूप से जमा करानी होगी। नीलामी के बावजूद अनुबन्धपत्र निर्धारित 10/- के स्टाम्प पर निष्पादित कराना होगा कि-

- (क) बोली बोलने वाले व्यक्ति दकायादार एवं काली सूची के अन्तर्गत न जाता हो।  
 (ख) बोली बोलने वाले व्यक्ति के विस्त कोई आपराधिक भावना पंजीकृत न हुआ हो और न ही लग्नित हो। इस तथ्य का शपथपत्र प्रत्येक बोलीकर्ता को बोली बोलने से पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।  
 (ग) अधिकतम बोली लगाने वाले बोलीकर्ता द्वारा निष्प्रयोज्य सामग्री को ले जाने का खर्च स्वयं वहन करना होगा।  
 (घ) बोली स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार जनपद न्यायाधीश, झांसी को सुरक्षित रहेगा।

उपरोक्त नीलामी की सूचना तदनुसार जनपद न्यायालय, झांसी की अधिकारिगण वेबसाइट पर अपलोड करवाई जाये एवं समाचार पत्र में भी प्रकाशित करवाई जाये।

दिनांक: 14.08.2024

०/८

(पवन कुमार शर्मा-प्रयम)

अध्यक्ष, नीलामी समिति/

प्रभारी अधिकारी, नजारत,

झांसी।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूधनापट पर घस्ता करने एवं वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित-

१. नोडल अधिकारी (कम्प्यूटर), झांसी को उक्त वेबसाइट पर अपलोड करवाने हेतु। १५-८-२५
२. जिला सूचना अधिकारी, झांसी को स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाए जाने हेतु। १५-८-२५
३. केन्द्रीय नाजिर, जनपद न्यायालय, झांसी को जनपद के समस्त गुण्य कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर घस्ता करने हेतु। १५-८-२५

१. कार्यालय, जिलाधिकारी, झांसी। १५-८-२५

२. कार्यालय, विरिन्द्र पुलिस अधीकारक, झांसी। १५-८-२५

३. कार्यालय, नुच्छ विकास अधिकारी, झांसी। १५-८-२५

४. कार्यालय, जिला पंचायत राज अधिकारी, झांसी। १५-८-२५

५. कार्यालय, मुख्य विकासाधिकारी, झांसी। १५-८-२५

६. सार्वजनिक स्थानों पर विज्ञप्ति घस्ता कराने हेतु। १५-८-२५

(पवन कुमार शर्मा-प्रयम)

अध्यक्ष, नीलामी समिति/

प्रभारी अधिकारी, नजारत,

झांसी।